

Directorate of Town & Country Planning, Haryana

SCO-71-75, 2nd Floor, Sector-17-C, Chandigarh, Phone: 0172-2549349

Web site tcpharyana.gov.in - e-mail: tcpharyana7@gmail.com

Public notice

License No. 443-446 of 2006 dated 27.01.2006 has been granted in favour of ASG Overseas Pvt. Ltd., Garnish Colonizers Pvt. Ltd., Sun Glow Overseas Pvt. Ltd., Super Belts Pvt. Ltd. in collaboration with **Countrywide Promoters Pvt. Ltd.** for setting up Group Housing colony over an area measuring 17.97 acres, Sector 86, Faridabad, which was valid upto 26.01.2016. Due to failure of the licensee to get renewed the said licence and to pay the deficit EDC and to rectify the deficiencies conveyed to him from time to time, the aforesaid licence has been cancelled vide this office memo no 22780-789 dated 01.08.2018 and the administration of this colony has been taken over by Director, Town & Country Planning, Haryana.

The colonizer has been restrained from selling of any unsold property in the said colony. The general public is advised not to indulge in any sale/purchase/ transaction with the licensee in respect of the said colony with above named developer. For further clarification, they may contact the office of Senior Town Planner, Faridabad/ District Town Planner, Faridabad.

Date: 03.08.2018

Place: Chandigarh

-Sd-
(Jitender Sihag)
Chief Town Planner
Town & Country Planning Department
Haryana, Chandigarh

ग्राम एवं नगर आयोजना विभाग, हरियाणा

एस0 सी0 ओ0 न0 71-75, द्वितीय तल, सैक्टर-17 सी, चण्डीगढ़

फोन: 0172-2549349 ईमेल: tcpharyana7@gmail.com

सार्वजनिक सूचना

लाईसैंस नं0 443-446 आफ 2006 दिनांक 27.01.2006 ए0एस0जी0 ओवरसीज प्रा0 लि0, गारनिस कॉलोनाइजर प्रा0 लि0, सन ग्लो प्रा0 लि0, सूपर बैल्टस प्रा0 लि0 सहयोग में कंपनी कन्ट्रीवाइड प्रोमोटरस प्रा0 लि0 को सैक्टर-86, फरीदाबाद में आवासीय ग्रुप हाऊसिंग कालोनी हेतु 17.97 एकड भूमि में प्रदान किया गया था जो कि दिनांक 26.01.2016 तक वैद था । समय-समय पर विभाग द्वारा बताई गई कमियों को ना सुधारने, बकाया ई0डी0सी0 राशी जमा ना करने तथा उक्त लाईसैंस का नवीकरण ना करवाने की वजह से यह लाईसैंस इस कार्यालय के आदेश क्रमांक 22780-789 दिनांक 01.08.2018 के तहत रद्द कर दिया गया है तथा इस कालोनी के प्रशासन को निदेशक, ग्राम एवं नगर आयोजना विभाग द्वारा अपने अधिकार में ले लिया गया है।

कालोनाइजर को इस कालोनी में कोई भी बिना बिकी प्रोपर्टी को बेचने से रोक दिया गया है। आम जनता को आगाह किया जाता है कि उक्त कालोनी की किसी भी प्रोपर्टी के लेन-देन/खरीद फरोख्त उक्त कालोनाइजर के साथ ना करें। अन्य अतिरिक्त जानकारी के लिए वरिष्ठ नगर योजनाकार फरीदाबाद/नगर योजनाकार फरीदाबाद से सम्पर्क किया जा सकता है।

—हस्ता—

(जितेन्द्र सिहाग)

मुख्य योजनाकार

ग्राम एवं नगर आयोजना विभाग

हरियाणा, चण्डीगढ़

दिनांक— 03.08.2018

स्थान— चण्डीगढ़